मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 04/02/2021

कमांक 219/3060/2021/सत्रह/मेडि–1:: कार्यालय विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, म.प्र भोपाल के पत्र क. 2070/अप.कं 274/14/विपुस्था/2021 भोपाल दिनांक 25.06.2020 द्वारा अपराध कमांक–274/2014 विरूद्ध श्रीमती गायत्री भिलाला, आशा कार्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुजरी, जिला धार एवं श्रीमती प्रतिभा शर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुजरी, जिला धार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा–7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं सहपठित धारा 120 बी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत म.प्र शासन की अभियोजन स्वीकृति चाही गई है।

2/ अभिलेखों के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैः–शिकायतकर्ता (आवेदक) श्री विनोद चौहान पिता श्री इंदर सिंह चौहान निवासी आशापुर, जिला खरगौन की पत्नी के पेट में तकलीफ होने से सरकारी अस्पताल गुजरी में चेकअप करवाने पर श्री चौहान को उनकी पत्नी को दो–तीन माह का गर्भ होना पता चला। श्री चौहान ने दिनांक 23.06.2014 को गुजरी अस्पताल, जिला खरगौन में पदस्थ डॉ. रौनक चंदेल द्वारा श्री चौहान की पत्नी का गर्भ गिराने के बदले में 2500/–रूपये रिश्वत की मांग की गई । तत्समय नर्स प्रतिभा शर्मा एवं आशा कार्यकर्ता गायत्री भिलाला भी मौके पर मौजूद भी। डॉ. चंदेल द्वारा आवेदक को 2500/– रूपये रिश्वत के लाने एवं यह भी कहा कि उनके नही मिलने पर नर्स प्रतिभा शर्मा एवं आशा कार्यकर्ता गायत्री भिलाला को 2500/– रूपये दे देना। शिकायतकर्ता द्वारा बताया कि वह डॉक्टर चंदेल, नर्स प्रतिभा शर्मा एवं आशा कार्यकर्ता गायत्री भिलाला को रिश्वत नही देना चाहता हूँ, बल्कि उन्हे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। शिकायतकर्ता के बीच रिश्वत संबंधी वार्तालाप को गोपनीय ढ़ग से टेंपाकित कराया गया।

आरोपी श्रीमती गायत्री भिलाला आशा कार्याकर्ता एवं श्रीमती प्रतिभा शर्मा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुजरी, जिला धार द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के विपरीत भ्रष्ट आचरण कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए श्रीमती गायत्री भिलाला, आशा कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुजरी जिला धार द्वारा 2500/– रूपये रिश्वत की मांग संबंधी वार्तालाप को गोपनीय ढंग से टेपांकित कराया जाकर किया गया जिसकी पुष्टि हुई। इस प्रकार सत्यापन उपरान्त आरोपी के विरूद्ध रिश्वत की मांग करना प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्रीमती गायत्री भिलाला आशा कार्याकर्ता एवं श्रीमती प्रतिभा शर्मा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुजरी जिला धार के विरूद्ध दिनांक 24.06.2014 को विधिवत अप.क. 274/14 धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988 का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ कर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता श्री विनोद चौहान से 2500/– रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाकर मौके पर आरोपी श्रीमती प्रतिभा शर्मा को शिकायतकर्ता श्री विनोद चौहान से रिश्वत के 2500/– रूपये लिये थे। तत्पश्चात दोनों आरोपियों के दोनों हाथों को धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिससे अपराध किया जाना सिद्ध हो गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता से अवैध रूप से भ्रष्ट आचरण कर रिश्वत की मांग कर रिश्वत ग्रहण करना प्रमाणित पाया गया, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 7,13(1)डी, 13(2) पीसी एक्ट 1988 एवं सहपठित धारा 120बी के तहत प्रमाणित पाया गया, जो दण्डनीय अपराध है। अतः आरोपी श्रीमती गायत्री भिलाला आशा कार्यकर्ता एवं श्रीमती प्रतिभा शर्मा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य

.....2.....

केन्द्र गुजरी जिला धार को अभियोजन किया जाना आवश्यक है।

3/ राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.09.2021 को आयोजित की गई समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अभियोजन स्वीकृति के संबंध में श्रीमती गायत्री भिलाला आशा कार्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुजरी जिला धार एवं श्रीमती प्रतिमा शर्मा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुजरी जिला धार के प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई। अतः आरोपियों को अपराधिक प्रकरण के संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु माननीय मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया।

4/ तद्नुसार राज्य शासन एतद् द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांक एफ–15–1/2014/1–10 दिनांक 05.09.2014 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.04.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए आरोपी श्रीमती गायत्री भिलाला आशा कार्याकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुजरी, जिला धार एवं श्रीमती प्रतिभा शर्मा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुजरी, जिला धार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा–7, 13(1)डी, 13(2), 120बी भादवि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अतंर्गत दण्डनीय अपराध के लिये न्यायालय में अभियोजित करने हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19(1) बी.सी. के अंतर्गत अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सीमा डहेरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 04/02/2022

पृ.कमांक– 220/3060/2021/सत्रह/मेडिं–1

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल की ओर उनके अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 4232/अप.कं. 274/2014/विपुस्था/2021, दिनांक 30.07.2021 के संदर्भ में प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कलेक्टर, जिला धार म.प्र.।
5. पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, इंदौर की ओर उनके पत्र कमांक 6027/विपुस्था/2021, दिनांक 06.12.2021 के संदर्भ में प्रेषित।
6. आयुक्त, सह सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
7. आदेश नस्ती।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण विभाग